

अपर समाहर्ता का न्यायालय, दुमका ।

रे0मि0 अपील सं0 31/11-12

मो0 लुकमान अली.....अपीलकर्ता

बनाम


बगरू मियाँ वगैरह.....उत्तरकारी


॥आदेश॥

यह रे0मि0 अपील सं0 31/11-12 म0 लुकमान अली सा0 ढाका, बनाम बगरू मियाँ उर्फ जमशेद मियाँ एवं अन्य सा0 दुधानी, थाना-शिकारीपाड़ा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0 ई0 वाद सं0 42/04-05 में पारित आदेश दिनांक 03.01.08 के विरुद्ध में दायर किया है ।

अपीलकर्ता लगातार न्यायालय में कई तिथियों से बिना कारण बताए अनुपस्थित है । इस पर अपीलकर्ता को दिनांक 17.05.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया । निर्गत नोटिस बिना तामिला का वापस किया गया है, जिसमें प्रक्रिया पालक द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा नोटिश लेने से इन्कार किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है । अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित



अपर समाहर्ता,
दुमका ।


अपर समाहर्ता,
दुमका ।

ज्ञापांक...../डी0बी0, दुमका

दिनांक...../11/17

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित । प्राप्त निम्न न्यायालय का अभिलेख सं0 आर0ई0 42/04-05 मो0 लुकमान अली अंसारी बनाम बगरू मियाँ का मूल में संलग्न कर भेजा जाता है ।


अपर समाहर्ता,
दुमका ।
११/११/१७